न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

वाद संख्याः– 102/प्रा0पत्र/2019

1. श्री छगना पुत्र हरदेव जाति मीणा निवासी ग्राम बटवाडी तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।
2. श्री अम्बालाल पुत्र हरदेव जाति मीणा निवासी ग्राम बटवाडी, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।
3. कान्ता पुत्री कंवरिया जाति मीणा निवासी ग्राम बटवाडी, तहसील व थाना हिण्डोली, जिला–बून्दी (राज0)।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री लाडू सिंह पुत्र नारायण जाति मीणा निवासी ग्राम बटवाडी, तहसील व थाना हिण्डोली, जिला–बून्दी।
2. श्री दुर्गा पुत्र भूरा जाति मीणा निवासी ग्राम बटवाडी, तहसील व थाना हिण्डोली, जिला–बून्दी।
3. श्री रामप्रसाद पुत्र भूरा जाति मीणा, निवासी ग्राम बटवाडी, तहसील व थाना हिण्डोली, जिला–बून्दी।
4. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :– 111, 128 एल.आर.एक्ट

प्रार्थीगण अधिवक्ता – शम्भूदयाल शर्मा
अप्रार्थीगण – पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :– 18/01/2021

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के ग्राम बटवाडी में खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है जिसके खाता संख्या 30 नया 27 पुराना खसरा संख्या 277/694 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा है। प्रार्थीगण दिनांक 19.06.2019 को सीमाज्ञान करवा लिया गया है। इस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सहमत नही हुये। इस कारण प्रार्थीगण मौके पर पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण के कृषि भूमि के आस–पास की चारो सीमाए दिशाऐ – पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में दुर्गालाल का खेत, उत्तर में दुर्गालाल का खेत, दक्षिण में दुर्गालाल का खेत। वर्तमान में आस–पास वाले अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 से

विवाद हो सकता है। इस कारण पत्थरगढी अनिवार्य है। प्रार्थना पत्र निर्धारित कोर्ट फीस एवं तलबाना मय नोटिस पेश करा दिया है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढी के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 ने न्यायालय में उपस्थित होकर उनकी उपस्थिति में पटवारी हल्का उमर, पेच की बावडी, देवा का खेडा की उपस्थिति में प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करने में कोई आपत्ति नही होना आदेशिका में अंकित किया है। अप्रार्थी संख्या 4 पेरोकार सरकार ने प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी नियमानुसार फीस जमा कर आदेश दिये जाने में कोई आपत्ति नही होना अंकित किया है। प्रार्थी 1 व 2 की ओर प्रा0पत्र प्रार्थी स0 3 का नाम डीलीट किये जाने का पेश किया जिस पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी संख्या 03 का नाम प्रा0पत्र से डिलीट किये जाने के आदेश दिये गये।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुन कर पत्रावली का अवलोकन किया। बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। वादग्रस्त सम्पदा प्रार्थी की खातेदारी भूमि है, जिसकी प्रार्थीगण पत्थरगढी करवाना चाहता है। उक्त आराजीकी पत्थरगढी किये जाने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडेगा। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 30 नया 27 पुराना खसरा संख्या 277/694 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा ग्राम बटवाडी पटवार मण्डल उमर की प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण की उपस्थिति में उक्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार हिण्डोली को 1000/रू की कोस्ट पर मौका कमिशनर नियुक्त किया जाता है। फीस कमिशनर प्रार्थीगण द्वारा वहन की जावेगी। तहसीलदार हिण्डोली नियमानुसार राशि राजकोष में प्रार्थीगण से जमा कर भूमि की पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली